

अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

सं. 7/2018-राज्य कर

सं. फा. 03(89)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/94.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय विलंब शुल्क की रकम का अधित्यजन किया जाता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर-6** में विवरणी देने में असफल रहता है, जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है के लिए पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी, 2018 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd February, 2018

No. 7/2018- State Tax

No. F. 3(89)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/94.—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-6** by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues.

2. This notification shall come into force with effect from the 23rd day of January, 2018.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

सं. 9/2018-राज्य कर

सं. फा. 03(90)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/95.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग 4, में सं. फा. 03(10)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/341 तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना (जिसे केंद्र की अधिसूचना सं. 4/2017 केन्द्रीय कर तारीख 19 जून, 2017 के सन्दर्भ में जारी किया गया था) उन बातों के सिवाय जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए रजिस्ट्रीकरण, कर संदाय विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा परिनिर्धारण को सुकर बनाने के लिए www.gst.gov.in को सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक वे बिल प्रस्तुत करने के लिए www.ewaybillgst.gov.in को सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करती है।